

संचिका संख्या:-4प/कि०-160-01/2026/...../पं०रा०

५९/स्वी०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रेषक,

नजर हुसैन,
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक ४/९/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य की ग्राम कचहरियों को जिन्हें अपना भवन नहीं है, प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम ₹ 1,000.00 (एक हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह की दर से आठ माह (मार्च 2026 से अक्टूबर 2026 तक) का भवन किराया हेतु कुल ₹ 1,37,28,000.00 (एक करोड़ सैंतीस लाख अट्ठाईस हजार रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 90 के आलोक में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में अधिनियम के अधीन सौंपे गये न्यायिक कृत्यों के निर्वहण हेतु एक ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है। अधिकांश ग्राम कचहरियों को सम्प्रति अपना भवन नहीं होने के कारण कार्य सम्पादन/निष्पादन हेतु भवन उपलब्ध कराना आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य की ग्राम कचहरियों जिन्हें अपना भवन नहीं था, को प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम ₹ 500.00 (पाँच सौ रुपये) मात्र प्रतिमाह की दर से किराया पर भवन उपलब्ध कराने का निर्णय वर्ष 2009 में लिया गया था। इस अवधि के बीच महँगाई बढ़ने, किराये में वृद्धि होने के कारण सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य की ग्राम कचहरियों को जिन्हें अपना भवन नहीं है, प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम ₹ 1,000.00 (एक हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह की दर से किराया पर भवन उपलब्ध कराया जायेगा।

2. ग्राम कचहरी भवन किराया के संबंध में दिशा-निर्देश निम्नवत् है :-

- (क) किराया पर लिये जाने वाले भवन का अधिकतम किराया ₹ 1,000.00 (एक हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह अनुमान्य होगा।
- (ख) पूर्व में ₹ 500.00 (पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह किराये पर लिये गये ग्राम कचहरी भवनों के मामले में पुनरीक्षित किराया दर निर्धारित होने पर ही अधिकतम किराया ₹ 1,000 (एक हजार रुपये) प्रतिमाह अनुमान्य होगा।
- (ग) किराये पर भवन में कम से कम कचहरी हेतु परिसर सहित कमरा/भवन जिसका न्यूनतम कारपेट एरिया 800 वर्गफीट हो।
- (घ) किराया पर भवन संबंधित ग्राम कचहरी के सरपंच/उपसरपंच/पंच की सम्पत्ति से संबंधित नहीं हो।
- (ङ) किराया पर भवन संबंधित ग्राम कचहरी के क्षेत्र के अन्तर्गत एवं संबंधित ग्राम पंचायत के मुख्यालय के ग्राम में अवस्थित हो।

(च) ग्राम कचहरी हेतु किराये के भवन का चयन संबंधित ग्राम कचहरी के सरपंच के परामर्श से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन/सम्पुष्टि के पश्चात् एकरारनामा (Agreement) के द्वारा किया जायेगा।

3. राज्य सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में राज्य की ग्राम कचहरियों को, जिन्हें अपना भवन नहीं है, प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम ₹ 1,000.00 (एक हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह की दर से आठ माह (मार्च 2026 से अक्टूबर 2026 तक) का भवन किराया हेतु संलग्न विवरणी (अनुलग्नक-1) के अनुसार अंकित राशि कुल ₹ 1,37,28,000.00 (एक करोड़ सैंतीस लाख अठ्ठाईस हजार रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. इस स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे। संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी सभी ग्राम कचहरी के खाता में सीधे CFMS के माध्यम से राशि अंतरित करेंगे। राशि का भुगतान ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। ग्राम कचहरी द्वारा राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी समेकित रूप से आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. वैसे ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी जहां पंचायत सरकार भवन, ग्राम पंचायत भवन या समुदायिक भवन उपलब्ध हैं, वैसे ग्राम कचहरियों को भवन किराया का भुगतान नहीं किया जाना है। ग्राम कचहरी भवन किराया राशि का उपयोग उचित रूप से हो इसकी पूर्ण जबाबदेही जिला पंचायत राज पदाधिकारी की होगी।

6. इस स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मद के "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उप मुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय-उपशीर्ष-0112-ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" के अन्तर्गत, "विषयशीर्ष-0112.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन", से वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जायेगा। इसका विपत्र कोड 16-2515008000112 एवं मांग संख्या-16 है।

7. इस स्वीकृत्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या-4प/कि०-160-01/2026 के पृष्ठ 04/टि० पर दिनांक 18/08/26 को प्राप्त है।

8. इस प्रस्ताव में स्वीकृति प्राधिकार सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या-4प/कि०-160-01/2026 के पृष्ठ 06/टि० पर दिनांक 01/09/26 को प्राप्त है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राशि की निकासी के लिए इस विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

11. इस स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

विश्वराजभाजन
(नगर हुसैन)
विशेष सचिव

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक:-4प/कि०-160-01/2026/...../पं०रा०, पटना, दिनांक 8/9/2025
प्रतिलिपि:-सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नज़र हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक:-4प/कि०-160-01/2026/...../पं०रा०, पटना, दिनांक 8/9/2026
प्रतिलिपि:-सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नज़र हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक:-4प/कि०-160-01/2026/...../पं०रा०, पटना, दिनांक 8/9/2026
प्रतिलिपि:- सचिव, वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, पंचायत राज/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-5, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नज़र हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक:-4प/कि०-160-01/2026/...../पं०रा०, पटना, दिनांक 8/9/2026
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव, को सूचनार्थ प्रेषित।

(नज़र हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक:-4प/कि०-160-01/2026/...../पं०रा०, पटना, दिनांक 8/9/2026
प्रतिलिपि:-आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट www.biharprd.bih.nic.in पर अपलोड हेतु प्रेषित।

(नज़र हुसैन)
विशेष सचिव

५९

अनुलग्नक-1

ग्राम कचहरी भवन किराया हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत राशि की विवरणी :-

क्र०सं०	जिला	किराया पर भवन की संख्या	कुल स्वीकृत राशि (रु० 1000 X 8 की दर से राशि)	
1	अररिया	5	₹ 40,000.00	(चालीस हजार रुपया)
2	अरवल	36	₹ 2,88,000.00	(दो लाख अठ्ठासी हजार रुपया)
3	औरंगाबाद	53	₹ 4,24,000.00	(चार लाख चौबीस हजार रुपया)
4	बांका	7	₹ 56,000.00	(छप्पन हजार रुपया)
5	बेगूसराय	20	₹ 1,60,000.00	(एक लाख साठ हजार रुपया)
6	भागलपुर	33	₹ 2,64,000.00	(दो लाख चौसठ हजार रुपया)
7	भोजपुर	103	₹ 8,24,000.00	(आठ लाख चौबीस हजार रुपया)
8	बक्सर	22	₹ 1,76,000.00	(एक लाख छिहत्तर हजार रुपया)
9	दरभंगा	127	₹ 10,16,000.00	(दस लाख सोलह हजार रुपया)
10	पूर्वी चंपारण	167	₹ 13,36,000.00	(तेरह लाख छत्तीस हजार रुपया)
11	गया	0	₹ -	
12	गोपालगंज	19	₹ 1,52,000.00	(एक लाख बावन हजार रुपया)
13	जमुई	68	₹ 5,44,000.00	(पांच लाख चवालीस हजार रुपया)
14	जहानाबाद	13	₹ 1,04,000.00	(एक लाख चार हजार रुपया)
15	कैमूर	28	₹ 2,24,000.00	(दो लाख चौबीस हजार रुपया)
16	कटिहार	15	₹ 1,20,000.00	(एक लाख बीस हजार रुपया)
17	खगड़िया	0	₹ -	
18	किशनगंज	18	₹ 1,44,000.00	(एक लाख चवालीस हजार रुपया)
19	लखीसराय	6	₹ 48,000.00	(अड़तालीस हजार रुपया)
20	मधेपुरा	35	₹ 2,80,000.00	(दो लाख अस्सी हजार रुपया)
21	मधुबनी	98	₹ 7,84,000.00	(सात लाख चौरासी हजार रुपया)
22	मुंगेर	14	₹ 1,12,000.00	(एक लाख बारह हजार रुपया)
23	मुजफ्फरपुर	48	₹ 3,84,000.00	(तीन लाख चौरासी हजार रुपया)
24	नालदा	81	₹ 6,48,000.00	(छह लाख अड़तालीस हजार रुपया)
25	नवादा	65	₹ 5,20,000.00	(पांच लाख बीस हजार रुपया)
26	पटना	146	₹ 11,68,000.00	(ग्यारह लाख अड़सठ हजार रुपया)
27	पूर्णिया	4	₹ 32,000.00	(बत्तीस हजार रुपया)
28	रोहतास	12	₹ 96,000.00	(छियानवे हजार रुपया)
29	सहरसा	20	₹ 1,60,000.00	(एक लाख साठ हजार रुपया)
30	समस्तीपुर	95	₹ 7,60,000.00	(सात लाख साठ हजार रुपया)
31	सारण	50	₹ 4,00,000.00	(चार लाख रुपया)
32	शिवहर	28	₹ 2,24,000.00	(दो लाख चौबीस हजार रुपया)
33	शेखपुरा	3	₹ 24,000.00	(चौबीस हजार रुपया)
34	सीतामढ़ी	0	₹ -	
35	सीवान	79	₹ 6,32,000.00	(छह लाख बत्तीस हजार रुपया)
36	सुपौल	5	₹ 40,000.00	(चालीस हजार रुपया)
37	वैशाली	124	₹ 9,92,000.00	(नौ लाख बानवे हजार रुपया)
38	पश्चिमी चंपारण	69	₹ 5,52,000.00	(पांच लाख बावन हजार रुपया)
	कुल	1716	₹ 1,37,28,000.00	(एक करोड़ सैंतीस लाख अठ्ठाइस हजार रुपया)

(निर्धार हुसत्र)
विशेष सचिव